मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 सितम्बर 2014-भाद्र 14, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर

दिनांक 27 अगस्त, 2014

प्रारूप-चौदह

[नियम 18 (2) देखिये]

नगर विकास योजना क्रमांक 177 के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना

वि. क्र. 130.—इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा इसके पूर्व मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 3 (1) में दिनांक 14 सितम्बर, 2012 को प्रकाशित विज्ञप्ति के संदर्भ में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-50 की उप-धारा (3) के अधीन निम्नांकित ग्राम एवं खसरा नम्बरों की दर्शित भूमि के संबंध में एक नगर विकास योजना का प्रारूप तैयार किया गया है.

योजना क्रमांक 177 में ग्राम भंवरासला, भांग्या, कुमेर्डी, शक्करखेड़ी, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर एवं ग्राम कैलोदहाला, तलावली चांदा, लसुड़िया मोरी एवं अरंडिया तहसील व जिला इन्दौर के निम्नांकित खसरा नम्बरों की भूमि सम्मिलित है.—

1. ग्राम भंवरासला, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर के खसरा नंबरः—174 पार्ट, 184 पार्ट, 185 पार्ट, 186 पार्ट, 187, 188, 189 पार्ट, 190 पार्ट, 191 पार्ट, 206 पार्ट, 207 पार्ट, 208 पार्ट एवं 215 पार्ट.

2. ग्राम कुमेर्डी, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर के खसरा नंबरः—1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 एवं 7 पार्ट.

3. ग्राम भांग्या, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर के खसरा नंबरः—29 पार्ट, 30, 31 पार्ट, 33 पार्ट, 35 पार्ट, 113 पार्ट, 117 पार्ट, 118, 119 पार्ट, 128 पार्ट, 129, 130, 131, 132, 133, 134 पार्ट, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 पार्ट, 145 पार्ट, 162 पार्ट, 163, 164, 165, 166, 167 पार्ट, 169 पार्ट, 170, 171, 172, 173, 174, 175 पार्ट, 176, 177 पार्ट, 178, 179 पार्ट, 180 पार्ट, 181 पार्ट, 182 पार्ट, 183 पार्ट, 192 पार्ट, 195 पार्ट, 196 पार्ट, 197 पार्ट, 199 पार्ट, 200, 201 पार्ट, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 पार्ट, 211, 212 पार्ट, 213 पार्ट, 214 पार्ट, 215, 216 पार्ट एवं 218 पार्ट.

4. ग्राम शक्करखेड़ी, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर के खसरा नंबर:—66 पार्ट, 87 पार्ट, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95 पार्ट, 96 पार्ट, 97, 98 पार्ट, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 पार्ट, 106 पार्ट, 107 पार्ट, 111 पार्ट, 113 पार्ट, 114, 115, 116, 116/145, 117, 118, 119, 120 पार्ट, 121, 122, 123, 124, 125 पार्ट, 126 पार्ट, 127 पार्ट, 128, 129, 130 पार्ट, 131 पार्ट, 137 पार्ट, 138 पार्ट, 139 पार्ट, 140, 141 पार्ट एवं 142 पार्ट.

5. **ग्राम कैलोदहाला, तहसील व जिला इन्दौर के खसरा नंबर:**—109 पार्ट, 166 पार्ट, 194 पार्ट, 196 पार्ट, 197 पार्ट, 203 पार्ट, 204 पार्ट, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 पार्ट, 213 पार्ट, 214 पार्ट, 215 पार्ट, 220 पार्ट, 221 पार्ट, 222 पार्ट, 223 पार्ट, 234 पार्ट, 235, 236, 237, 238 पार्ट, 239, 240, 241, 242 पार्ट, 245 पार्ट, 253 पार्ट, 254 पार्ट, 255, 256, 257 पार्ट, 258, 259, 260, 261, 262 पार्ट, 263 पार्ट, 264 पार्ट, 266 पार्ट, 298 पार्ट, 302 पार्ट, 304 पार्ट, 305, 306, 307, 308, 309 पार्ट, 310 एवं 311 पार्ट.

6. ग्राम लसुड़िया मोरी, तहसील व जिला इन्दौर के खसरा नंबर:—1, 2 पार्ट, 3, 4 पार्ट, 6 पार्ट, 12 पार्ट, 44 पार्ट, 102 पार्ट, 103, 104, 105, 106 पार्ट, 107 पार्ट, 108 पार्ट, 111 पार्ट, 124 पार्ट, 125, 126 पार्ट, 127 पार्ट, 207 पार्ट, 208 पार्ट, 209 पार्ट, 210 पार्ट, 207/338 पार्ट एवं 209/334.

7. ग्राम तलावली चांदा, तहसील व जिला इन्दौर के खसरा नंबर:—24 पार्ट, 25, 26 पार्ट, 31 पार्ट, 206 पार्ट, 207, 208 पार्ट, 209, 210 पार्ट, 215 पार्ट, 219 पार्ट, 221 पार्ट, 222, 223, 224 पार्ट, 225, 226 पार्ट, 228 पार्ट, 230 पार्ट, 231 पार्ट, 233 पार्ट, 234 पार्ट एवं 236 पार्ट.

8. ग्राम अरंडिया, तहसील व जिला इन्दौर के खसरा नंबर:—6 पार्ट, 7 पार्ट, 24 पार्ट, 25 पार्ट, 26 पार्ट, 33 पार्ट, 167 पार्ट, 168 पार्ट, 169 पार्ट, 170 पार्ट, 171 पार्ट, 172, 173, 174, 175, 176 पार्ट, 177, 178 पार्ट, 179 पार्ट, 180, 181 पार्ट, 189 पार्ट, 215 पार्ट, 216 पार्ट एवं 217 पार्ट.

उक्त नगर विकास योजना के प्रारूप की एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध है—

1. कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर.
2. कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर.
3. कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर.

किसी भी ऐसी आपत्ति अथवा सुझाव पर, जो उक्त योजना से प्रभावित किसी भी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 (तीस) दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो, उस व्यक्ति को व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यदि ऐसी वांछा करे इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा विचार किया जावेगा.

(299-बी.)

दिनांक 27 अगस्त, 2014

प्रारूप पन्द्रह

[नियम 18 (3) देखिये]

वि. क्र. 131.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम सन् 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-50 की उप-धारा-(4) के अधीन इन्दौर निवेश क्षेत्र में इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम बड़ा बांगड़दा, पालाखेडी, लिम्बोदागारी, टिगरिया बादशाह, तहसील हातौद, जिला इन्दौर एवं ग्राम भंवरासला, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर के निम्नलिखित खसरा नम्बरों की भूमि से सम्बन्धित नगर विकास योजना क्रमांक 176 को उक्त अधिनियम की धारा-50 (7) के अन्तर्गत सर्व-साधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है.

योजना क्रमांक 176 में ग्राम बड़ा बांगड़दा, पालाखेडी, लिम्बोदागारी, टिगरिया बादशाह, तहसील हातौद, जिला इन्दौर एवं ग्राम भंवरासला, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर के निम्नांकित खसरा नम्बरों की भूमि सम्मिलित है.—

ग्राम बड़ा बांगड़दा के खसरा नंबर:—356 पार्ट, 499 पार्ट, 500 पार्ट, 501 पार्ट, 502, 503, 504 पार्ट, 505 पार्ट, 506 पार्ट, 510 पार्ट, 511 पार्ट, 513 पार्ट, 514 पार्ट, 515, 516, 517, 518 पार्ट, 519 पार्ट, 521 पार्ट, 557 पार्ट, 558, 559 पार्ट, 560, 561, 562, 563, 564 पार्ट, 565, 566, 567, 568, 569 पार्ट, 570 पार्ट, 571 पार्ट, 572 पार्ट, 573, 574, 575 पार्ट, 576 पार्ट, 577 पार्ट, 579 पार्ट, 580 पार्ट, 581 पार्ट, 582 पार्ट, 585 पार्ट, 586 पार्ट, 593 पार्ट, 598 पार्ट, 599 पार्ट, 600, 601, 602, 603, 604 पार्ट, 605 पार्ट, 612 पार्ट, 613 पार्ट, 614 पार्ट, 615 पार्ट, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623 पार्ट, 624 पार्ट, 625 पार्ट, 638 पार्ट, 639, 640, 641 पार्ट, 642 पार्ट, 643 पार्ट, 644 पार्ट, 645 पार्ट, 646 पार्ट, 707 पार्ट.

ग्राम पालाखेड़ी के खसरा नंबरः—234/333 पार्ट, 236 पार्ट, 238 पार्ट, 239 पार्ट, 240 पार्ट, 241 पार्ट, 242, 243, 244 पार्ट, 245 पार्ट, 246 पार्ट, 247 पार्ट, 250 पार्ट, 251 पार्ट, 280 पार्ट, 281, 282 पार्ट, 283, 284, 285 पार्ट, 286 पार्ट, 290 पार्ट, 291, 292 पार्ट, 293 पार्ट, 316 पार्ट, 317 पार्ट, 318 पार्ट, 319, 320, 321 पार्ट, 322, 323 पार्ट, 324, 325 पार्ट, 326 पार्ट, 327 पार्ट, 328 पार्ट, 330 पार्ट, 332 पार्ट.

ग्राम लिम्बोदागारी के खसरा नंबरः—194 पार्ट, 485 पार्ट, 486 पार्ट, 488.

ग्राम टिगरिया बादशाह के खसरा नंबरः—1 पार्ट, 76 पार्ट.

ग्राम भंवरासला के खसरा नंबरः—90.

उक्त योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध है—

1. कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर.
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर.
3. आयुक्त इन्दौर, नगर पालिक निगम, इन्दौर.

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी.

दीपकसिंह,
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी.

(299-A-बी.)

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह तनय श्री रामकुमार सिंह, उम्र 57 वर्ष, निवासी ग्राम भाजीखेरा, पोस्ट आमा, तहसील नागौद, जिला सतना (मध्यप्रदेश) है. शैक्षणिक अभिलेख बोटर लिस्ट एवं बोटर आइडी कार्ड में धीरेन्द्र प्रताप सिंह लिखा है. मैं मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र वि. वि. कं. लिमिटेड उचेहरा वितरण केन्द्र में वरिष्ठ लाइन परिचालक (सहायक लाइन मैन) के पद पर पदस्थ हूँ. सेवा पुस्तिका में त्रुटि वश मेरा नाम दीरेन्द्र प्रताप सिंह लिखा है जो कि गलत है उसे सुधार कर धीरेन्द्र प्रताप सिंह पढ़ा जावे/माना जावे.

पुराना नाम :
(दीरेन्द्र प्रताप सिंह)

नया नाम :
(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)

(287-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि जन्म प्रमाण-पत्र में मेरा नाम अलजा जैन (ALZA JAIN) पिता श्री अजय जैन लिखा है, जबकि हमने उसे स्कूल में बदलकर आयूषी जैन (AYUSHI JAIN) पिता श्री अजय जैन कर लिया था. मेरी सभी मार्कशीट और अन्य दस्तावेजों मेरा नाम आयूषी जैन (AYUSHI JAIN) पिता श्री अजय जैन ही लिखा है. अतः सभी जगह मुझे इसी से लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(अलजा जैन)
(ALZA JAIN)

नया नाम :
(आयूषी जैन)
(AYUSHI JAIN)
पिता-श्री अजय जैन,
68, श्री विहार कॉलोनी, घोसीपुरा,
रेल्वे स्टेशन के पास, लश्कर, ग्वालियर (म. प्र.).

(288-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, उपेन्द्रसिंह चौहान सूचित करता हूँ कि मेरा नाम विद्यार्थी जीवन में कक्षा 01 से लेकर एम. ए. अंतिम वर्ष तक उपेन्द्र प्रताप सिंह लिखा था किन्तु वर्ष 1978 से शासकीय नौकरी में आने के बाद से मैं, अपना नाम उपेन्द्रसिंह चौहान लिख रहा हूँ. इसलिये अब प्रत्येक कार्यवाही के लिये मेरा नाम उपेन्द्रसिंह चौहान लिखा एवं पढ़ा जाये.

पुराना नाम :
(उपेन्द्र प्रताप सिंह)

नया नाम :
(उपेन्द्रसिंह चौहान)
तहसीलदार, तहसील बासौदा,
जिला विदिशा मध्यप्रदेश.
निवासी—वार्ड नम्बर 07, कालाबाग,
बरेठ रोड, गंजबासौदा.

(289-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह के पूर्व नाम कु. मीना गुर्जर था, परन्तु विवाह पश्चात् मेरा नाम अमिता ग्वाल्हेरकर हो गया है. अत: मुझे अमिता ग्वाल्हेरकर के नाम से जाना जावे साथ ही समस्त पत्र व्यवहार भविष्य में इसी नाम से किया जावे.

पुराना नाम :

(कु. मीना गुर्जर)
पुत्री-श्री गोविन्द राव गुर्जर.

नया नाम :

(अमिता ग्वाल्हेरकर)
पत्नी श्री उदय ग्वाल्हेरकर.

(290-बी.)

NAME CHANGE

This is to inform that by fault (unintentionally), in educational institution my daughter's name is mentioned as kanika puar, daughter of Tukoji Rao Puar. For which the required amendment and the birth certificate my daughter's name should be addressed as Kanika Raje Puar, Daughter of Tukoji Rao Puar. After publishing this name change notification, now onwards in all required document like educational institution certificates and for all others future purposes the changed name should be used.

TUKOJI RAO PUAR
Anand Bhavan Palace
A.B. Road, Dewas.

(291-B.)

नाम परिवर्तन

मेरा शादी के पूर्व नाम कु. मोसम पिता राजकुमार वर्मा था. शादी के बाद नाम बदलकर जानवी सोनी पति हिरेन सोनी कर लिया है. अब से मुझे इसी नये नाम से जाना-पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(मोसम)

नया नाम :

(जानवी सोनी)
पति-हिरेन सोनी,
फ्लेट क्र.701, कृष्णा हरमोनी,
14/2, न्यू पलासिया, इन्दौर (म.प्र.).

(293-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम महेश कारपेन्टर था, जिसमें अब मैंने अपना उपनाम बदलकर महेश विश्वकर्मा कर लिया है. अत: अब सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे महेश विश्वकर्मा नाम से ही लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(महेश कारपेन्टर)

नया नाम :

(महेश विश्वकर्मा)
भाटखेडी मनासा, नीमच (म.प्र.).

(294-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम YASHWANT KUMAR PAL था, जिसे बदलकर YASHWANT PAL कर लिया गया है. अत: अब मुझे नए नाम YASHWANT PAL से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(YASHWANT KUMAR PAL)

नया नाम :

(YASHWANT PAL)
R. No.22, Shipra Building,
NGO Officer Mess Bhopal.

(295-B.)

नाम परिवर्तन

बचपन में मेरी पुत्री का नाम अनुभूति था, जिसे हमने स्कूल में बदलकर अंशीता भारद्वाज कर लिया था. अत: अब सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री को उसके नये नाम अंशीता भारद्वाज से ही लिखा-पढ़ा जावे.

प्रवेश भारद्वाज,
वेटनरी हॉस्पीटल केम्पस,
बड़वानी (मध्यप्रदेश).

(297-बी.)

नाम परिवर्तन

यह सूचित किया जाता है कि मेरा नाम भुलवंश/त्रुटिवश समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में प्रेमनारायण पिता श्री शिवनारायण अंकित हो गया है तथा अन्य समस्त आवश्यक दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, पेन कार्ड, वोटर आई डी तथा ड्रायविंग लायसेन्स इत्यादि में प्रेमकुमार शर्मा पिता श्री शिवनारायण शर्मा अंकित है उक्त यह दोनों नाम मेरे हैं परन्तु प्रचलित नाम प्रेमकुमार शर्मा पिता श्री शिवनारायण शर्मा होने से तथा में प्रेमकुमार शर्मा पिता श्री शिवनारायण शर्मा के नाम से जाना-पहचाना जाता हूँ इसलिए मेरा नाम प्रेमकुमार शर्मा पिता श्री शिवनारायण शर्मा ही होगा. उक्त नाम/जन्म दिनांक के प्रकाशन उपरांत आवश्यक अभिलेख जैसे शैक्षणिक संस्थानों के जारी प्रमाण-पत्र आदि में परिवर्तन/संशोधन कराया जावेगा तथा आवश्यकतानुसार अभिलेख के साथ राजपत्र भी प्रस्तुत होगा.

पुराना नाम :
(प्रेमनारायण)

नया नाम :
(प्रेमकुमार शर्मा)
65, शिवाजी नगर, मोती बंगला,
देवास (म.प्र.).

(300-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे स्वर्गीय पिता का नाम शासकीय दस्तावेजों में मुन्नालाल प्रधान पिता बालाराम प्रधान लिखा है. लेकिन मेरे स्कूल के दस्तावेजों व परिचय-पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड आदि में मेरा नाम नीलेश मर्सकोले पिता मुन्नालाल मर्सकोले लिखा है मेरे पिता अपना नाम मुन्नालाल प्रधान लिखते थे. उपरोक्त दोनों सरनेम अलग-अलग न होकर मेरे पिता के ही है इस बावत शपथ-पत्र प्रस्तुत है.

(नीलेश मर्सकोले)
49, विद्युत नगर खण्डवा,
जिला खण्डवा (म.प्र.).

(301-बी.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा आम साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, सुकरिया पिता बिकरु सिंगारे, जाति भील, उम्र 38 वर्ष, निवासी जिरात ग्राम पंचायत आशापुर, तहसील महेश्वर का निवासी हूँ. मेरा मूल नाम सुखराम है किंतु ग्रामीण परिवेश का होने से मेरे परिजनों ने विद्यालय में भर्ती करते समय सुकरिया लिखा दिया था, जब मैं, व्यस्क हुआ तब मैंने अपने सभी कार्यों के लिये अपना नाम सुखराम लिखना प्रारम्भ कर दिया है किंतु शासन के विभिन्न कार्यों में मेरा सुकरिया ही चला आ रहा है तदानुसार मेरा मूल नाम सुखराम है और मैं, सुखराम के नाम से ही अपने सभी शासकीय-अशासकीय कार्यों में उक्त नाम का उपयोग करने लग गया हूँ तदानुसार अब मैं सुखराम पिता बिकरु सिंगारे के नाम से जाना-पहचाना जाने लगा हूँ और सभी कार्यों में उक्त नाम का ही उपयोग कर रहा हूँ.

पुराना नाम :
(सुकरिया)

नया नाम :
(सुखराम)

(302-बी.)

(फर्म समाप्ति की आम सूचना)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म मेसर्स एस. कुमार, एफ-1/12, शालीमार गार्डन, कोलार रोड, भोपाल का पंजीयन फर्मों को रजिस्ट्रार, कार्यालय भोपाल में भागीदारी अधिनियम,1932 के अंतर्गत पंजीयन क्र.01/01/01/00269/07, दिनांक 26 फरवरी, 2007 को किया है. इस भागीदारी फर्म में स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह आत्मज श्री बलवंत सिंह एवं मैं स्वयं श्रीमती अंजली सिंह (विवाह पूर्व नाम कु. जाहिदा खान) पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह 22 दिसम्बर, 2013 भागीदार थे और भागीदारी विलेख का निष्पादन दिनांक 06 अप्रैल, 2004 को निष्पादन किया था. स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह भागीदार का स्वर्गवास दिनांक 22 दिसम्बर, 2013 को हो जाने से फर्म स्वत: ही विघटित हो चुकी थी. पुर्नगठन करने हेतु श्री राम कुमार सिंह को शामिल करते हुए भागीदार विलेख तैयार किया गया था जो 27 जनवरी, 2014 को निष्पादित किया गया था.

फर्म मेसर्स एस. कुमार का जिसमें श्रीमती अंजली सिंह एवं श्री रामकुमार सिंह को भागीदार दर्शाते हुए पुर्नगठन कर दिया है. इस सूचना द्वारा मैं सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि उक्त फर्म (AT WILL) इच्छाधीन भागीदारी (धारा-7 पार्टनरशिप एकट, 1932) होने से फर्म को इस सूचना द्वारा विघटित अर्थात, डिसोल्ब्ड तुरंत प्रभाव से करती हूँ. अत: उक्त पुर्नगठित फर्म मेसर्स एस. कुमार इस सूचना के आधार पर विघटित (डिसोल्ब्ड) मानी जावे.

अरविन्द वर्मा,
(एडवोकेट),
ई-5/104, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.

(286-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, हमारी भागीदारी फर्म मे. बालाजी डेवलपर्स जो कि कान्टेक्टर, डेवलपर्स, मेन्यूफेक्चर एण्ड सप्लायर्स का कार्य करती है. जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00016/09 है, जिसका पता-102, मानसी एवेन्यु, 709, उषा नगर एक्सटेंशन इन्दौर मध्यप्रदेश था, सदर फर्म दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से नवीन पते पर स्थानांतरित हो गई थी, जिसका पता-35, बी. जे. विहार शिव मोती नगर के पीछे चितावद रोड इन्दौर हो गया था. अब दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से सदर फर्म पुन: नवीन स्थान पर स्थानांतरित हो गई है, जिसका नया पता 301, पुखराज कार्पोरेट, नवलखा बस स्टेण्ड के सामने प्रशान्त होटल के पास इन्दौर है. सभी सम्बंधितों को इस जाहिर सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आगामी सभी पत्र व्यवहार फर्म के नवीन पते पर करें.

तर्फे,
मेसर्स बालाजी डेवलपर्स,
गीतादेवी मित्तल,
(भागीदार),
301, पुखराज कार्पोरेट, नवलखा बस स्टेण्ड के सामने,
प्रशान्त होटल के पास, इन्दौर.

(296-बी.)

JAHIR SUCHNA

According to Provisions of Partnership Act, 1932 we are intimate to general public that M/s PRO BIOTECH, having registration no. 03/27/03/00034/14, Dated 12th May, 2014 of 2014-15 had following changes in the firm.

1. Two new partner join the firm with effect from 01 april, 2011 named Shri Rakesh Mandan S/o Shri Tejpal Mandan, Age about 40 years in 2011 resident at 44, Kalindi Kunj Pipliyahana circle Ring Road Indore. And Shri Ajay Singh Dassundi S/o Shri Rajendra Dassundi, Age 33 years in 2011, resident of 1437 sch no 114, part 1 vijay nagar, Indore.
2. Change in firm address with effect from 01April, 2014 and new address of the firm is 242/1, SDA Annex Kelod Hala, Dewas Naka, Indore.

For- V. Nagda & Associates
Chartered Accountants,
(C.A.VIKAS NAGDA),
(Proprietor).

(298-B.)

सूचना

मै. युवराज कंस्ट्रक्शन जो दिनांक 13 अगस्त, 2013 को निर्मित हुई थी, जिसमें दिनांक 29 जनवरी, 2014 से भागीदार क्रमांक 03 के रूप में बंसत मिश्रा आत्मज श्री हरगोविन्द मिश्रा, निवासी देवरी को जोड़ा गया है.

PRAMOD DUBEY,
Advocate & Tax Consultant,
75, Janpad panchyat, Market, 10 Civil Line Sagar (M.P.).

(303-B.)

जाहिर सूचना

"सर्व-साधारण को भारतीय भागीदारी, अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अंतर्गत सूचित किया जाता है, कि मेसर्स अनु कंस्ट्रेक्शन कं. भोपाल में जिसका पंजीयन क्र./01/01/01/00172/10, दिनांक 25 जून, 2010, पता-58, नारियल खेड़ा, भोपाल (मध्यप्रदेश) में लिया गया है, कि दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से उपरोक्त भागीदारी में से श्री अनूप सिंह राठौर भागीदार स्वेच्छा से निवृत हो रहे हैं. उक्त फर्म के अन्य भागीदारों को कोई आपत्ति नहीं है".

For :- Anu Construction Co.
AJAY SINGH RATHORE,
(Partner).

(304-बी.)

PUBLIC NOTICE

"Notice is hereby given to the General Public that Shri Bahadursingh Anjana S/o Shri Kaluji Anjana Admitted in the firm M/s Mahadev Warehousing, Dudarshi (Lalpur Nagzhiri), Ujjain (Regn No. 07/33/01/00086/12) w.e.f. 31-3-2013 and Shri Jitendra Patel S/o Shri Bahadursingh Patel (Anjana) retired from the above firm Ujjain w.e.f. 31-3-2013."

For- Mahadev Warehousing
MANOHAR SINGH ANJANA,
(Partner).

(305-B.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त, 2014

क्र.जी.बी.चार/पेपर(1)2014-15/2515.—आनलाईन बिडिंग **https://mpeprocurement.com** पर ई-टेण्डर से तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा दिनांक 19 सितम्बर, 2014 अपराह्न 2.00 बजे तक **की-डेट्स** भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रिंटिंग पेपर क्रय हेतु निर्माता मिल/अधिकृत डीलर/अधिकृत एजेंट से आमंत्रित की जाती है.

2. टेण्डर फॉर्म, शर्तें एवं निविदा के अनुबंध का प्रारूप वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** पर भी रखा गया है.

3. समस्त पूर्तियों के उपरांत ई-निविदा की हार्डकापी एवं नमूने सूची सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में की-डेट्स अनुसार जमा कराना होगा. ऑनलाईन निविदा एवं हार्डकॉपी दिनांक 19 सितम्बर, 2014 अपराह्न 4.00 की-डेट अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी.

4. सूचना/संशोधन/सुधार की स्थिति में जानकारी केवल वेबसाईट **https://mpeprocurement.com** पर उपलब्ध रहेगी.

(734)

Bhopal, Dated 25th August, 2014

TENDER NOTICE

No. GB-IV/Paper(1)/2014-15/2515.— *Online Bidding go through* MPLUN Portal **https://mpeprocurement.com** and Sealed Technical & Commercial E-tenders are invited on or before 2.00 P.M.on 19th September, 2014 as per Key-Dates for the Purchase of various types of Printing Papers from manufacturing mills or their authorized dealers can participate.

2. Tender Document and agreement details of tender are available at website **www.govtpressmp.nic.in**

3. In all respects Hard Copy of the E-Tender document and sample of the items with list (sealded) must be received at the office of the undersigned as per key dates. Envelope 'A' Hard Copy of Technical tender will be opened ONLINE on or before 4.00 PM on 19th September, 2014 and as per key dates in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

4. All corrigendum/amendments/changes; if any will only be issued and made available only on **https://mpeprocurement.com**

RENU TIWARI,
Controller,
Govt. Printing and Stationery,
Madhya Pradesh, Bhopal.

(734-A)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, लोक न्यास, गुना

प्र. क्र. 04 बी 121/2011-2012.

प्ररूप-पाँच

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

श्री जिला गुना द्वारा:-मंदिर श्री राधाकृष्ण जी

हनुमानजी लोक न्यास झागर द्वारा—

1. अध्यक्ष-हेमराज आत्मज श्री अनुरूद्धसिंह किरार आयु लगभग 32 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम झागर, तहसील बमौरी, जिला गुना.
2. सचिव - भगवानसिंह आत्मज श्री रामप्रसाद, आयु लगभग 41 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम झागर, तहसील बमौरी, जिला गुना.
3. कोषाध्यक्ष-काशीराम पुत्र श्री नन्नूलाल किरार आयु लगभग 37 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम झागर, तहसील बमौरी, जिला गुना.

.....आवेदक

चूँकि अध्यक्ष हेमराज, सचिव भगवानसिंह एवं कोषाध्यक्ष काशीराम ने मंदिर श्री राधाकृष्ण जी, हनुमान जी लोक न्यास झागर, तहसील बमौरी, जिला गुना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन दिया है. मुझे यह प्रतीत होता है कि, अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय की अधीन लोक न्यास का गठन करता है.

अत: मैं, टी. एन. सिंह, अनुविभागीय अधिकारी, गुना, जिला गुना, अनुविभाग गुना का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या उसमें हित रखने वाले और किसी सम्पत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम व पता)

इस लोक न्यास का नाम : मंदिर श्री राधाकृष्ण, हनुमान जी लोक न्यास झागर.

लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन :

(अ) न्यास की चल सम्पत्ति का विवरण : न्यास के पास वर्तमान में चल सम्पत्ति के रूप में तीन भगोन, पांच थाली, दस गिलास, एक स्टील का हण्डा और दो फर्स मौजूद हैं इसके अतिरिक्त भगवान की पूजन हेतु शंक, झालर, एक जोड़ी एवं एक आरती की थाली है, इन सब का मूल्य 1,000/- रुपये है.

(ब) न्यास की अचल सम्पत्ति का विवरण एवं उसका मूल्य. : ग्राम झागर, तहसील व जिला गुना में श्री राधाकृष्ण जी, हनुमान जी दोनों का मंदिर 100 वर्ष पुराना निर्मित है जो लगभग 15,000 वर्गफीट क्षेत्रफल में है और जिसकी चतुर्सीमा निम्नानुसार है. ग्राम झागर सर्वे क्रमांक 925/1/2, रकबा 0.575 हेक्टर में से 0.126 है. लगभग 125×125 वर्गफुट.

पूर्व में— फतेहगढ़ रोड

पश्चिम में— ग्रामीण रास्ता

उत्तर में— पंचायत व स्वास्थ्य विभाग का भवन

दक्षिण में— स्कूल बाउण्ड्री

इस मंदिर के भवन का वर्तमान बाजारू मूल्य लगभग 30,00,000.00 रुपये है.

टी. एन. सिंह,
पंजीयक.

(733)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

श्री राजेन्द्र जयप्रभ विजय न्यास, कार्यालय 512, गुमास्ता नगर, इंदौर की ओर श्री राजेन्द्र जयप्रभ विजय न्यास कार्यालय 512, गुमास्ता नगर, इंदौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम : श्री राजेन्द्र जयप्रभ विजय न्यास.

कार्यालय का पता : 512, गुमास्ता नगर, इंदौर.

अचल सम्पत्ति : निरंक.

चल सम्पत्ति : रु. 7,000/- (रुपये सात हजार मात्र).

आज दिनांक 11 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

विजय कुमार अग्रवाल,
रजिस्ट्रार.

(716)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

"श्री सिद्धी विनायक सांई शक्ति धाम न्यास", कार्यालय 38/2, देवी अहिल्या मार्ग जेल रोड, जिला इंदौर मध्यप्रदेश की ओर से श्री निशिकांत पिता रमेशचन्द्र त्रिवेदी, निवासी-38, देवी अहिल्या मार्ग जेल रोड, इंदौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	''श्री सिद्धी विनायक सांई शक्ति धाम न्यास''
ट्रस्ट कार्यालय का पता	:	38/2, देवी अहिल्या मार्ग जेल रोड, जिला इंदौर मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 1,001 /- (अक्षरी रुपये एक हजार एक मात्र).

आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(716-A)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

''चौरसिया समाज पारमार्थिक ट्रस्ट'', कार्यालय 13, तम्बोली बाखल मल्हारगंज इंदौर की ओर से आवेदक श्री हेमचन्द पिता बिन्दाप्रसाद चौरसिया, निवासी 4/1, जूना तुकोगंज इन्दौर एवं अन्य 2 न्यासीगण इंदौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	''चौरसिया समाज पारमार्थिक ट्रस्ट''
ट्रस्ट कार्यालय का पता	:	13, तम्बोली बाखल मल्हारगंज इंदौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक है.
चल सम्पत्ति	:	रु. 21,000 /- (अक्षरी रुपये इक्कीस हजार मात्र).

आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

शरद श्रोत्रिय,
रजिस्ट्रार.

(716-B)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, अनुभाग देवास

देवास, दिनांक 27 जून, 2014

[पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

क्र./9578/रीडर-1/2014.—अध्यक्ष श्री मनोज आधार पिता आधार दगा चौधरी, निवासी—45, प्रताप नगर, देवास द्वारा इस न्यायालय में ''श्री सप्तश्रृंगी माता मन्दिर पारमार्थिक लोक न्यास'' के नाम से पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. आवेदन-पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा-पत्र उद्देश्य नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूपरेखा आदि के साथ संलग्न किया गया है. ट्रस्ट पंजीयन के संबंध में पंजीयन शुल्क रुपये 5/- चालान की प्रति संलग्न की गई है.

अतः "श्री सप्तश्रृंगी माता मन्दिर पारमार्थिक लोक न्यास" के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति इस उद्घोषणा के जारी होने के दिनांक से 30 दिन अर्थात् 28 जुलाई, 2014 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

आज दिनांक 27 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई.

धीरज श्रीवास्तव,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(731)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
द्वारा-प्रशासक,
सामूहिक कृषि सहकारी मर्या., धामची.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको यह सूचित किया जाता है कि आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/विविध/2/2014/75, भोपाल, दिनांक 11 जुलाई, 2014 के द्वारा सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., धामची (जिसे आगे केवल " संस्था " कहा गया है)को आबंटित भूमि शासन को वापस करने के सम्बन्ध में तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये हैं. संस्था के प्रशासक द्वारा भी अपने पत्र दिनांक 28 जुलाई, 2014 के द्वारा उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है.

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा प्रदेश की सभी सामूहिक कृषि सहकारी समितियों को परिसमापन में लाया जाकर संस्था को आबंटित शासकीय भूमि शासन को वापस करने सम्बन्धी समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं. आलोच्य संस्था के सम्बन्ध में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि संस्था के संचालक मण्डल के कुछ प्रभावशाली सदस्यों द्वारा संस्था को आबंटित पूरी भूमि पर अधिपत्य कायम कर लिया गया था तथा संस्था को आबंटित भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा लिया गया था. स्पष्ट है कि शासन की मंशानुरूप संस्था के सभी सदस्यों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आम-सभा आहूत कर आम-सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अखिलेश कुमार निगम,
डिप्टी-रजिस्ट्रार.

(294-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1312.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/888, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 के द्वारा बारना मत्स्यो. सहकारी भण्डार मर्या., बाडी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 679, दिनांक 23 अगस्त, 1997 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है, अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये बारना मत्स्यो. सहकारी भण्डार मर्या., बाडी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 679, दिनांक 23 अगस्त, 1997 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बाडी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

विनोद कुमार सिंह,
उप-पंजीयक.

(695)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

परिसमापन समिति लघु वेतन कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2272, दिनांक 08 अक्टूबर, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/1076, दिनांक 24 सितम्बर, 2012 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री जी. पी. दीवान, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया परिसमापक द्वारा दिनांक 28 अप्रैल, 2013 को संस्था के सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित कर संस्था के कार्य संचालन एवं पुर्नजीवित करने हेतु सदस्यों से चर्चा कर विधिवत्/ठहराव पारित किया गया. उक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया. परिसमापक द्वारा प्रस्ताव/ठहराव संलग्न कर संस्था को पुर्नजीवित करने हेतु अनुशंसा की गई है साथ ही नामांकित संचालक मण्डल के नाम प्रस्तावित किये है. मेरी राय में संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित है. तदानुसार प्रस्ताव से सहमत होते हुए, मैं के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लघु वेतन कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2272, दिनांक 08 अक्टूबर, 1987 को परिसमापन में लाने के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1076, दिनांक 24 सितम्बर, 2012 को समाप्त कर संस्था को पुर्नजीवित करता हूँ. संस्था के कार्य संचालन हेतु नामांकित मण्डल का अनुमोदन किया जाता है.

नामांकित संचालक मण्डल

क्रमांक	नाम	पद
1.	श्री रामविलास लौवंशी, संचालक	अध्यक्ष
2.	श्री विनय कुमार, संचालक	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती शाहजहाँ बेगम, संचालक	म. उपाध्यक्ष
4.	श्री प्रहलाद राव	संचालक
5.	श्री टीकाराम	संचालक
6.	श्रीमती कमला बाई	संचालक
7.	श्री दयाशंकर दुबे	संचालक
8.	श्री भगवती कहार	संचालक
9.	श्री राधाकिशन कहार	संचालक
10.	श्री सुरेश रघुवंशी	संचालक
11.	श्री उल्लास राव	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. पाटनकर,
उप-पंजीयक.

(696)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला खरगोन

दिनांक 02 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन द्वारा मध्यप्रदेश.सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में किया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., बडगांव	495/09-11-1973	2014/761/18-06-2014
2.	फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., दसंगा	629/09-05-2014	2014/761/18-06-2014
3.	फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., मोठापुरा	1546/14-02-2008	2014/761/18-06-2014
4.	माँ दुर्गा महिला प्राथ. उपभोक्ता सह भण्डार मर्या., खरगोन	1472/03-02-2006	2014/530/04-04-2014
5.	श्री वल्लभ प्राथ. उपभोक्ता सह भण्डार मर्या., खरगोन	1478/01-03-2006	2014/529/04-04-2014
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोठाखुर्द	1389/28-07-2004	2014/162/30-01-2014

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे, यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 02 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

बी. एल. सोलंकी,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(697)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गोगावां

दिनांक 24 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोगावां, तहसील गोगावां जिला खरगोन, मध्यप्रदेश, जिसका पंजीयन क्रमांक 1251, दिनांक 27 मार्च, 2000 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, खरगोन के आदेश क्रमांक 1331, दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के, यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(698)

कार्यालय परिसमापक, आदि. मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, बड़ा

दिनांक 25 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

आदि. मत्स्योद्योग सहाकरी संस्था मर्या., बड़ा, तहसील सेगावाँ, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश, जिसका पंजीयन क्रमांक 1372, दिनांक 07 जून, 2004 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, खरगोन के आदेश क्रमांक/परि./952, दिनांक 12 अगस्त, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के, यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(698-A)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला खरगोन

दिनांक 08 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में किया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	जय दुर्गे मत्स्य सह. संस्था मर्या., बेगंडी	1434/03-08-2005	761/18-06-2014
2.	जय जल देव मत्स्योद्योग सह. सं. मर्या., खामखेड़ा	1482/14-08-2006	761/18-06-2014

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे, यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 08 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

आर. आर. भट्ट,
सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(698-B)

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 20 जनवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम, द्वारा निम्न आदेश क्रमांक एवं दिनांक के तहत परिसमापनाधीन सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अवार्ड स्टॉफ (रामबाग) गृह निर्माण सह. संस्था मर्यादित, रतलाम.	26/18-09-1970	परि/2013/1056/26-07-2013
2.	कालीदास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम	426/26-03-1987	परि/2013/1057/26-07-2013

अत: मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उपरोक्त समस्त संस्थाओं के क्रमश: लेनदारों/देनदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उनकी सम्बन्धित संस्था की कोई भी लेनदारी/देनदारी हो तो इस सूचना-पत्र के प्रकाशन से दो माह (60 दिवस) की अवधि में अपनी लेनदारी/देनदारी का दावा (क्लेम) मय प्रमाण के मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, हाकिमबाड़ा, रतलाम में कार्यालयीन समय में व्यक्तिश: उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. समयावधि के बाद कोई दावा स्वीकार करने योग्य नहीं होगा तथा परिसमापक द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी.

सूचना आज दिनांक 20 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एन. के. अडानिया,
उप अंकेक्षक.

(699)

कार्यालय परिसमापक, सहकारिता विभाग के कर्मचारियों की साख सहकारी संस्था मर्या., धार

दिनांक 08 जनवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

सहकारिता विभाग के कर्मचारी सहकारी संस्था मर्या., धार, तहसील धार, जिला धार, जिसका पंजयीन क्रमांक 345, दिनांक 12 दिसम्बर, 1970 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के आदेश क्रमांक 1343, दिनांक 05 अक्टूबर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के, यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

डी. एस. निगम,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(700)

कार्यालय परिसमापक, माँ रेवा माझी काम. कारी. सहकारी संस्था मर्या., बिल्लौराखुर्द

दिनांक 21 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

माँ रेवा माझी काम. कारी. सहकारी संस्था मर्या., बिल्लौराखुर्द, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा, जिसका पंजयीन क्रमांक 1625, दिनांक 29 जून, 1996 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 180, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लिया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के, यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. के. पाटीदार,
परिसमापक.

(701)

कार्यालय परिसमापक, ओम महिला रेत उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., बिल्लोराखुर्द

दिनांक 21 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

ओम महिला रेत उत्खन्नन सहकारी संस्था मर्या., बिल्लोराखुर्द, तहसील पुनासा, जिला खंडवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1667, दिनांक 19 मई, 1998 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खंडवा के आदेश क्रमांक 2014/181, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लिया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के, यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 21 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. के. पाटीदार,
एस. ए.

(701-A)

कार्यालय परिसमापक, गणेश गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., खण्डवा

दिनांक 21 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र. क्यू.1.—गणेश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1291, दिनांक 09 सितम्बर, 1982 है, को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 3369, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के, यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. पारे,
उप-अंकेक्षक.

(702)

कार्यालय परिसमापक, श्रीरवंडी दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, श्रीरवंडी

श्रीखंडी, दिनांक 16 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1.—श्रीरवंडी दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, श्रीरवंडी, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक-NMR(KRGN)/671, दिनांक 29 जनवरी, 1985 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1352, दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मैं, मोहन परमार, वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के, यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

उक्त सूचना आज दिनांक 16 अक्टूबर, 2013 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर से जारी किया गया.

मोहन परमार,
वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक एवं परिसमापक.

(703)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सांगवी

दिनांक 30 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सांगवी, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक एन. एम. आर. (केआरजीएन) 1580, दिनांक 22 सितम्बर, 2009 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक 1241, दिनांक 20 सितम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के, यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

नवीन मुहावरे,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(704)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

परिसमापित प्रिंटिंग छपाई एवं स्टेशनरी सहकारी संस्था मर्या., रायसेन, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आर.एस.एन. 851, दिनांक 11 नवम्बर, 2003 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/1247, दिनांक 29 अगस्त, 2013 अनुसार परिसमापन में लाई गई थी. परिसमापक द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था एवं संस्था की लेनदारी एवं देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अंतर्गत परिसमापित प्रिंटिंग छपाई एवं स्टेशनरी सहकारी संस्था मर्या., रायसेन, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आर.एस.एन. 851, दिनांक 11 नवम्बर, 2003 का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

विनोद कुमार सिंह,
उप-पंजीयक.

(709)

कार्यालय परिसमापक, सूरगाँव जोशी फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., सूरगाँव जोशी

दिनांक 21 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

दादाजी फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., सूरगाँव जोशी, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 1987,

दिनांक 26 जुलाई, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 3534, दिनांक 28 दिसम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. एस. सिसोदिया,
परिसमापक.

(710)

कार्यालय परिसमापक, महालक्ष्मी विस्था. ग्राम पाडियादेह मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., नंदाना

दिनांक 02 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/95.—महालक्ष्मी विस्था. ग्राम पाडियादेह मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., नंदाना, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1983, दिनांक 31 दिसम्बर, 2006 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 3255, दिनांक 30 सितम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एम. एल. आरणे,
परिसमापक.

(711)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 30 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/490.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/490, दिनांक 28 जून, 2014 के द्वारा वीरपुर कुंडेश्वर आबना सागर बांध निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, टिटियाजोशी (पंजी. क्रमांक 1850, दिनांक 26 मई, 2002) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सुभाष चौहान, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें संस्था की लेनदारी एवं देनदारियों का निपटारा किए जाने का उल्लेख कर अंतिम स्थिति विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी को शून्य कर दी गई है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा द्वारा जाँच उपरांत निर्गमित की गई है. परिसमापक द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999

के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए संस्था वीरपुर कुंडेश्वर आबना सागर बांध निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, टिटियाजोशी (पंजी. क्रमांक 1850, दिनांक 26 मई, 2002) विकासखण्ड खण्डवा, जिला खण्डवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(712)

खण्डवा, दिनांक 22 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/1079, दिनांक 08 जुलाई, 2013 के द्वारा शासकीय महाविद्यालय प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, खण्डवा (पंजी. क्रमांक 1105, दिनांक 17 दिसम्बर, 1973) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें संस्था की लेनदारी एवं देनदारियों का निपटारा किए जाने का उल्लेख कर अंतिम स्थिति विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी को शून्य कर दी गई है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा द्वारा जाँच उपरांत निर्गमित की गई है. परिसमापक द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए संस्था शासकीय महाविद्यालय प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, खण्डवा (पंजी. क्रमांक 1105, दिनांक 17 दिसम्बर, 1973) विकासखण्ड खण्डवा, जिला खण्डवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(712-A)

खण्डवा, दिनांक 22 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/549.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/3219, दिनांक 23 सितम्बर, 2013 के द्वारा म. प्र. विद्युत मंडल कर्मचारी परस्पर साख सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा (पंजी. क्रमांक 1181, दिनांक 27 जुलाई, 1979) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें संस्था की लेनदारी एवं देनदारियों का निपटारा किए जाने का उल्लेख कर अंतिम स्थिति विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी को शून्य कर दी गई है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा द्वारा जाँच उपरांत निर्गमित की गई है. परिसमापक द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए संस्था म. प्र. विद्युत मंडल कर्मचारी परस्पर साख सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा (पंजी. क्रमांक 1181, दिनांक 27 जुलाई, 1979) विकासखण्ड खण्डवा, जिला खण्डवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

मदन गजभिये,
उप-पंजीयक.

(712-B)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1594, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था बांस काष्टकला उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 19 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अमित ठाकुर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था बांस काष्टकला उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 19 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(713)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1602, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था भोलेशंकर प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1602 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अमित ठाकुर, स. नि. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था भोलेशंकर प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1602 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(713-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1606, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था प्रीति महिला प्राथ. उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1582 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अमित ठाकुर, सह. निरी. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था प्रीति महिला प्राथ. उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1582 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(713-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1608, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था कैरोसिन हाकर्स प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1594 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अमित ठाकुर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था कैरोसिन हाकर्स प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1594 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(713-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1600, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था माँ नर्मदा खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1653 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अमित ठाकुर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था माँ नर्मदा खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1653 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(713-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1619, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था शिखा महिला प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1620 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अशीष कुमार शुक्ला, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था शिखा महिला प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1620 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(713-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1613, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था मातश्री रेवा महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1657 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री आशीष कुमार शुक्ला, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था मातश्री रेवा महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1657 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 25 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(713-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1523, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., मझगवां, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1728 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एन. सी. सोनी, उप-अंकेक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., मझगवां, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1728 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(713-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1525, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था जनहित खनिज उत्खनन काम-कारी सहकारी समिति मर्या., धोराकोनी, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1724 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत

परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एन. सी. सोनी, उप-अंके. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था जनहित खनिज उत्खनन काम-कारी सहकारी समिति मर्या., धोराकोनी, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1724 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(713-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1621, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था सरस्वती महिला प्राथ. उपभोक्ता भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1750 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री आशीष कुमार शुक्ला, सह. निरी. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था सरस्वती महिला प्राथ. उपभोक्ता भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1750 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(713-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1530, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था पूजा स्टील एवं वुडन उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1800 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एन. सी. सोनी, उप-अंकेक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था पूजा स्टील एवं वुडन उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1800 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(713-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1531, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था रेशम उद्योग सहकारी समिति मर्या., सिहोरा, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1736 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एन. सी. सोनी, उप-अंकेक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था रेशम उद्योग सहकारी समिति मर्या., सिहोरा, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1736 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(713-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1620, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था रोजमेरी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1624 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री आशीष कुमार शुक्ला, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था रोजमेरी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1624 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(713-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1617, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था ज्ञान महिला प्राथ. उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1611 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री आशीष कुमार शुक्ला, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था ज्ञान महिला प्राथ. उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1611 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(713-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1618, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था शारदा महिला प्राथमिक उप. सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1612 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री आशीष कुमार शुक्ला, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था शारदा महिला प्राथमिक उप. सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1612 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(713-N)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1563, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था गुलाब वाशिंग पाउडर सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1849 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री नरेन्द्र सोनकर, व. स. नि. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था गुलाब वाशिंग पाउडर सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1849 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 25 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(713-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1585, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था सुखदा श्रमठेका खनिज सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1755 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री ललित जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था सुखदा श्रमठेका खनिज सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1755 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 25 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(713-P)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1626, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था राधारमण प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1338 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री सोनी लाल गौड़, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था राधारमण प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1338 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(713-Q)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1631, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था अखिल ईंधन प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1508 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री सोनी लाल गौड़, स. नि. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था अखिल ईंधन प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1508 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(713-R)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1629, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था माँ खेरमाई महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1640 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री सोनी लाल गौड़, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था माँ खेरमाई महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1640 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(713-S)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1607, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था शिवम् महिला प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1586 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अमित ठाकुर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था शिवम् महिला प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1586 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(713-T)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1399, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था ब्लू स्टार साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1870 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री मोहन ताम्रकार, व. स. नि. उप-अंकेक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था ब्लू स्टार साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1870 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(713-U)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1398, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था कंचन महिला प्राथ. उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री मोहन ताम्रकार, व. स. नि. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था कंचन महिला प्राथ. उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1004 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(713-V)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1510, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था संस्कारधानी खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1707 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एम. एल. जैन, उप अंके. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था संस्कारधानी खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1707 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(713-W)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1396, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था आलोक कृषक समाज कल्याणकारी सह. साख समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 616 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री मोहन ताम्रकार, व. स. नि. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था आलोक कृषक समाज कल्याणकारी सह. साख समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 616 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(713-X)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1706, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था श्री भोले प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1160 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री पी. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था श्री भोले प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1160 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(713-Y)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1711, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था बेलबाग प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1181 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री पी. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था बेलबाग प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1181 का पंजीयन निरस्त करती हूँ.संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(713-Z)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1710, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था एकता प्राथ. उप. सह.भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1175 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री पी. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था एकता प्राथ. उप. सह.भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1175 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(714)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1622, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था सोनल महिला उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1784 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री सोनीलाल गोड़, स. नि. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था सोनल महिला उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1784 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(714-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1623, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था इंदिरा गांधी महिला उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1830 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री सोनी लाल गौड़, सह. निरी. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था इंदिरा गांधी महिला उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1830 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(714-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1624, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था संजय गांधी प्राथ. उप. सहाकरी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1334 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री सोनी लाल गौड़, सह. निरी. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था संजय गांधी प्राथ. उप. सहाकरी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1334 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(714-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1626, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था शिवांगी प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1342 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री सोनी लाल गौड़, सह. निरी. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था शिवांगी प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1342 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(714-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1661, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था राजीव गांधी प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1333 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री बी. एम. सोनी, उप अंके. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था राजीव गांधी प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1333 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(714-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1660, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था जय संतोषी माँ प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1313 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री बी. एम. सोनी, उप अंके. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था जय संतोषी माँ प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1313 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(714-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1664, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था प्रतिभा महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 992 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री बी. एम. सोनी, उप. अंके. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था प्रतिभा महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 992 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(714-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1666, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था सुभाष चन्द्र बोस प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 938 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री बी. एम. सोनी, उप अंके. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था सुभाष चन्द्र बोस प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 938 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(714-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1668, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था पार्वती प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री बी. एम. सोनी, उप अंके. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था पार्वती प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1006 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(714-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1662, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था पोस्टल एम्प. प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 239 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री बी. एम. सोनी, उप अंके. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था पोस्टल एम्प. प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 239 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(714-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1527, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था प्रगति रेत खदान मजदूर खनिज उत्खनन समिति मर्या., बिलहरी, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1716 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एन. सी. सोनी, उप-अंकेक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था प्रगति रेत खदान मजदूर खनिज उत्खनन समिति मर्या., बिलहरी, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1716 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(714-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1493, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था डॉ. बाबा साहब अम्बे. चर्म शिल्प उद्योग समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1680 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री आर. सी. मेहरा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था डॉ. बाबा साहब अम्बे. चर्म शिल्प उद्योग समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1680 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(714-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1603, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था दाता प्राथ. उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1500 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अमित ठाकुर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था दाता प्राथ. उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1500 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(714-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1599, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था ओम शिव शक्ति खनिज उत्खनन कामकारी समिति मर्या., सगड़ा, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1652 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अमित ठाकुर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था ओम शिव शक्ति खनिज उत्खनन कामकारी समिति मर्या., सगड़ा, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1652 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(714-N)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1605, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था रूपाली प्राथ. उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1573 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अमित ठाकुर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था रूपाली प्राथ. उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1573 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(714-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1709, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था जय भारत प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1122 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर

धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री पी. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था जय भारत प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1122 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(714-P)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1704, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा जय अम्बे कैरोसिन हाकर्स उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1431 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री पी. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था जय अम्बे कैरोसिन हाकर्स उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1431 का पंजीयन निरस्त करती हूँ.संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आरती पटेल,
सहायक आयुक्त.

(714-Q)

कार्यालय परिसमापक, पिछड़ा एवं अल्प संख्यक वर्ग प्रा. भण्डार सह. मर्या., भानपुरा, तहसील भानपुरा, विकासखण्ड भानपुरा, जिला मन्दसौर

मन्दसौर, दिनांक 21 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

पिछड़ा एवं अल्प संख्यक वर्ग प्राथमिक भण्डार मर्या., भानपुरा, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक/865, दिनांक 3 अप्रैल, 2006 है को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर के आदेश क्रमांक 150 परिसमापन मन्दसौर दिनांक 12 फरवरी, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मैं, के. एल. वधवा, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला मन्दसौर एवं उपरोक्त संस्था का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 क्रमांक 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूं कि उपरोक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्तियां या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 02 माह के मध्य मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर में मयप्रमाण के लिखित प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी

सदस्य सक्षम पदाधिकारी के पास संस्था का रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो, उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आज दिनांक 21 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया जावेगा.

(674)

कार्यालय परिसमापक, नर्मदा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., कोठडा बुजुर्ग तहसील गरोठ, विकासखण्ड गरोठ, जिला मन्दसौर

मन्दसौर, दिनांक 21 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

नर्मदा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., कोठडा बुजुर्ग तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक/890, दिनांक 26 दिसम्बर, 2007 है को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर के आदेश क्रमांक 148 परिसमापन मन्दसौर दिनांक 12 फरवरी, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मैं, के. एल. वधवा, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला मन्दसौर एवं उपरोक्त संस्था का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूं कि उपरोक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्तियां या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 02 माह के मध्य मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर में मयप्रमाण के लिखित प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य सक्षम पदाधिकारी के पास संस्था का रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो, उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आज दिनांक 21 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया जावेगा.

के. एल. वधवा,
सहकारी निरीक्षक.

(674-A)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 सितम्बर 2014-भाद्र 14, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 7 मई, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के मुरैना, ग्वालियर, अनूपपुर, विदिशा, जबलपुर, मंडला को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक—तहसील पोरसा, मुरैना (मुरैना), डबरा (ग्वालियर), जैतहरी, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बसौदा (विदिशा), जबलपुर (जबलपुर), बिछिया, मंडला (मंडला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला झाबुआ, खरगौन, सीहोर, बैतूल, सिवनी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**— . .

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**—जिला दतिया में फसल गेहूँ व डिण्डोरी में अलसी, चना, गेहूँ, मसूर, मटर व जबलपुर में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, शहडोल, उमरिया, भोपाल, छिन्दवाड़ा में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 7 मई, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	15.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	13.0				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. विजयपुर	. .				
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, मूँग-मोठ, तुअर, मूँगफली, तिली अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	6.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
*जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राघौगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़:	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौंडी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, अरहर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) मसूर, अलसी, राई, अरहर, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		गेहूँ, मटर.	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		(2) . .		
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		प्याज समान.		
4. सागर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) उड़द, मूँग बिगड़ी.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसल बिगड़ी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
***जिला सतना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना, मसूर, अलसी	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		कम. अरहर, जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	. .		(2) . .		
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7.रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर, मटर, चना, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		तिवड़ा कम.	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. जैतपुर	. .				
5. बढ़ार	. .				
6. गोहपास	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	4.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	5.0				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		राई-सरसों, तुअर अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .		(2) . .		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. देवसर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सुवासरा–टप्पा	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. सांवा कम.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. धुन्धडका	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. रामगढ़	. .				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) मक्का, उड़द, सोयाबीन, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		मूंगफली, राई–सरसों, मटर,	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .		मसूर.		
			(2) . .		
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
***जिला आगर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ोद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) गेहूँ,कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोण्डवा	. .				
5. भामरा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	. .		राई-सरसों समान.		
4. सेगांव	. .		(2) . .		
5. करही	. .				
6. खरगोन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. . .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	. .	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		अधिक. गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		(2) . .		
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचौर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, लाख	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		बिगड़ी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .		(2) . .		
4. बासौदा	4.2				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी अधिक. गेहूँ, तिवड़ा, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .				
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .		(2) . .		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसल की जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) चना, मटर, मसूर, मूंग अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बाबई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
***जिला हरदा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जबलपुर	3.7				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) . .		
3. विजयराघवगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) ज्वार, धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, मटर, चना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .				
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .		(2) . .		
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	0.7		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	3.2				
5. घुघरी	1.6				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. मोहखेड़ा	. .				
11. हर्रई	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) मक्का अधिक. धान, मूँग, उड़द, मूँगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		(2) . .		
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला भिण्ड, अशोकनगर, गुना, सतना, आगर, बड़वानी, हरदा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(730)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.